

मीडिया सेल
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ -226001

**आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक व निजी स्थानों से
अब तक कुल 1,04,09,261 प्रचार सामग्री हटायी गयी**

**अब तक 8,75,353 लाइसेन्सी शस्त्र कराये गये जमा, 1957 लाइसेन्स निरस्त
सीआरपीसी के तहत 32,12,863 लोग पाबन्द**

**आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं
में 1406 एफआईआर दर्ज**

अब तक लगभग 82.14 करोड़ रुपये से अधिक का कैश बरामद

**अब तक 45.29 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 16,66,559 लीटर मदिरा एवं
38.64 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 14,015 किग्रा ड्रग्स जब्त**

लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 1,04,09,261 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 78,07,905 एवं निजी स्थानों से 26,01,356 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वाल राइटिंग के 5,30,828 पोस्टर के 34,03,985 बैनर के 25,55,822 तथा 13,17,270 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 2,29,245 पोस्टर के 11,56,962 बैनर के 7,46,708 तथा 4,68,441 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक 8,75,353 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये, जिसमें से आज 2617 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये। अब तक 629 लाइसेन्स जब्त किए गए तथा 1957 लाइसेन्स निरस्त किये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये 32,12,863 लोगों को पाबन्द किया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक विभिन्न धाराओं में 1406 एफआईआर दर्ज करायी गयी है, जिसमें से आज विभिन्न धाराओं में 40 एफआईआर दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अब तक 9151 शस्त्र, 9509 कारतूस, 229

विस्फोटक एवं 284 बम बरामद किये गये। पुलिस विभाग द्वारा रेड डालकर अवैध शस्त्र बनाने वाली 180 फैक्ट्रियों को सीज किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग एवं आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 82.14 करोड़ रुपये से अधिक का कैश बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 45.29 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 16,66,559 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं। इसी प्रकार नारकोटिक्स एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 38.64 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 14,015 कि०ग्रा० ड्रग्स जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस एवं आयकर विभाग द्वारा अब तक लगभग 31.26 करोड़ रुपये मूल्य की 304 कि०ग्रा० की बहुमूल्य धातुएं बरामद की गयी। इसके अतिरिक्त 1.77 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य वस्तुएं भी बरामद की गयी हैं।
